न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/230
दायरा तिथि : 14.05.25
आदेश तिथि : 20/08/2025
प्रार्थी :–

हरदयालसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा गुमानसिंह तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. महावीरसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा गुमानसिंह तहसील बाली
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा गुमानसिंह तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश   दिनांकः 20/8/025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गुडा गुमानसिंह पटवार हल्का पादरला तहसील बाली के खसरा नंबर 9 रकबा 0.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम गुडा गुमानसिंह पटवार हल्का पादरला तहसील बाली के खसरा नंबर 14 रकबा 1.6200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 13 रकबा 0.1200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा नंबर 12 व 11 में से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जो कि अपर्याप्त चौडाई में है एवं गै.मु.सडा व बेरा से होकर है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता अन्य दूसरे विकल्पों से निकटतम है एवं प्रभावित खातेदारों द्वारा इस रास्ते हेतु अपनी सहमति पेश की है।
3. प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	13	0.12 हैक्टर	चा.सो.	20X9=180 वर्गमीटर	लक्ष्मणसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार)
2	14	0.11 हैक्टर	चा.सो.	16X9=144 वर्गमीटर	महावीरसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी सा. देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा फालना
3	9	0.13 हैक्टर	चा.सो.	20X9=180 वर्गमीटर	आवेदक स्वयं की भूमि

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित खसरा नंबर 13, 14, 9 की डी.एल.सी. दर 2,40,,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/230

अनवान हरदयालसिंह बनाम महावीरसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

7. यह है कि भू.अ. निरीक्षक, बीजापुर की रिपोर्टनुसार ग्राम गुडा देवीसिंह के खसरा नंबर 29 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता से जुडता है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी महावीरसिंह की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश दवे एवं अप्रार्थी लक्ष्मणसिंह की ओर से वकील श्री रामलाल ने वकालतनामा पेश किये। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर रास्ता देने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की सहमति पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम गुडा गुमानसिंह पटवार हल्का पादरला तहसील बाली के खसरा नंबर 9 रकबा 0.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गुडा गुमानसिंह पटवार हल्का पादरला तहसील बाली के- खसरा नंबर 9 रकबा 0.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम गुडा गुमानसिंह पटवार हल्का पादरला तहसील बाली के खसरा नंबर 14 रकबा 1.6200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 13 रकबा 0.1200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 9 रकबा 0.13 हैक्टर में से **180+144+180=504 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,40,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
13	0.12 हैक्टर	20X9= 180 वर्गमीटर	24	4320X2=8640	लक्ष्मणसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार)
14	0.11 हैक्टर	16X9=144 वर्गमीटर	24	3456X2=6912	महावीरसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी सा. देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा फालना
9	0.13 हैक्टर	20X9=180 वर्गमीटर	24	4320X2=8640	आवेदक स्वयं की भूमि
		कुल 504 वर्गमीटर		कुल राशि 24192/– रूपये	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 24192/– (अक्षरे चौबीस हजार एक सौ बरानवे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/230

अनवान हरदयालसिंह बनाम महावीरसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 20-8-25

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 1116- 1120

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, पादरला
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हरदयालसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा गुमानसिंह तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली

https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/Viewmap/08/plotreportRJ.jsp?st...

राजस्थान सरकार | **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/08/2025 08:03:45 PM

जिला :पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र :बीजापुर

पटवारी हल्का :पादरला

ग्राम : गुडागुमानसिंह

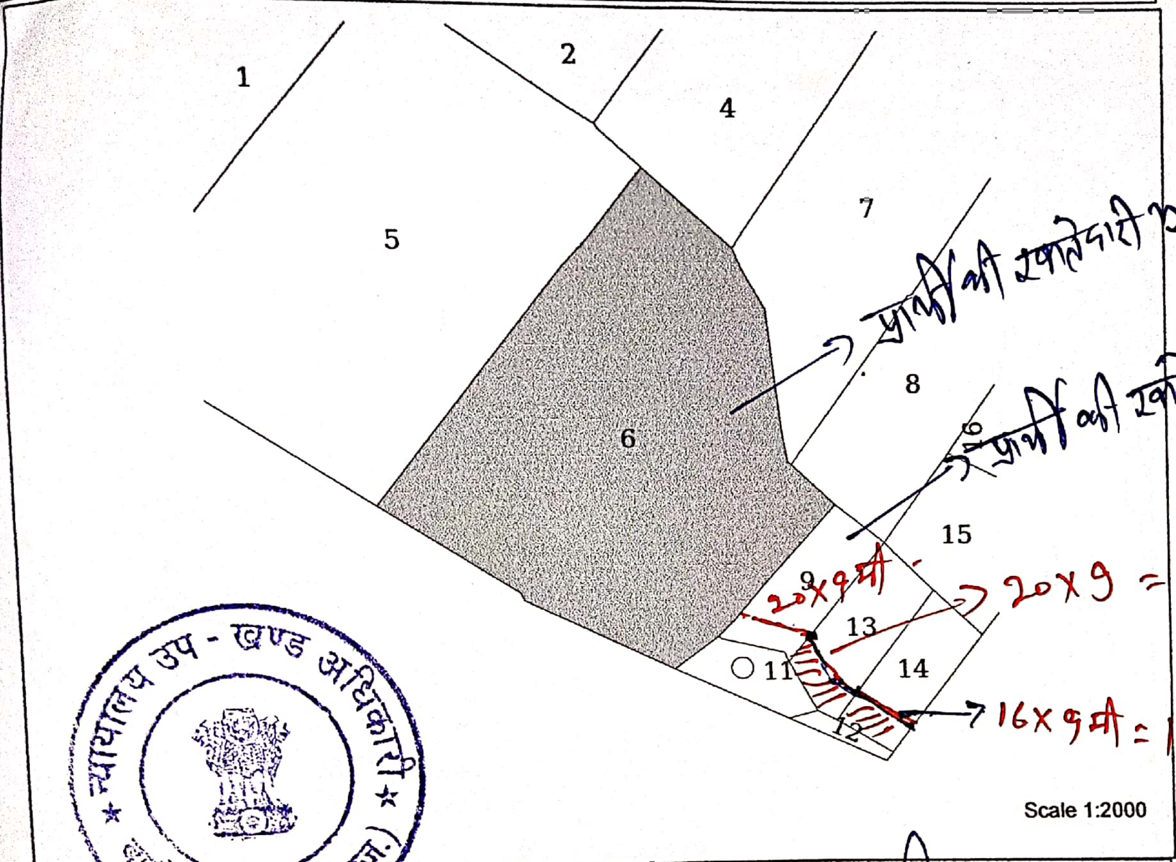

खसरा संख्या :6,क्षेत्रफल : 1.4000 Hectare खाता संख्या : 130पुराना खाता संख्या :130

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चाही सोयम [1.1300, 22.60], जाव सोयम [0.2700, 1.89]

1.) हरदयालसिंह पुत्र जबरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार बाली

नोट :- १. यह नक्शा केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with CamScanner